18
अध्याय

सतर्कता

सतर्कता

1. कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हैंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक इन पर कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीएस) का प्रयोग करते हुए सक्रिय, निवारण और दंडात्मक ढंग से अर्थात् औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच, अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं कंपनी के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए सीटीई किस्म की जांच जैसी कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता अनुभाग में वर्ष 2022 (01.01.2022 से 22.12.2022 तक) के दौरान निपटायी गई सतर्कता मामलों से जुड़ी शिकायतों तथा लंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<1	1-3	3-6	>6
सीवीसी	0	4	4	4	0	0	0	0	0
अन्य	10	261	271	242	29	29	0	0	0

आमतौर पर एमपी/एमएलए/कर्मचारियों और आम जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं। अधिकतर शिकायतें कोयला मंत्रालय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएलए सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, निविदाओं में अनियमितता, मुआवजे के संबंध में भ्रष्टाचार आदि के संबंध में होती हैं।

2. संगठन की संरचना

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख अपर/संयुक्त सचिव होते हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता स्कन्धों के सीवीओ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संगठनों के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

3. सतर्कता जागरूकता का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत' नामक विषय पर दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालय में सत्यनिष्ठता

प्रतिज्ञा, निबंध लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया गया। सतर्कता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता के सृजन हेतु सभी कंपनियों में भी इसी प्रकार की गतिविधियां की गई।

4. समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। दिनांक 01.01.2022 से 22.12.2022 की अवधि के दौरान एक बैठक दिनांक 04.03.2022 को मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

5. 2022–23 के दौरान जारी प्रणाली सुधार उपाय

इममूवेबल प्रोपर्टी रिटर्न (आईपीआर) ऑनलाइन जमा करने, अधिकारियों के संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर रोटेशनल ट्रांसफर आदि में सभी संगठन सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, 2022–23 के दौरान निम्नलिखित मुख्य प्रणाली सुधार के सुझाव दिए गए:–

सीआईएल के प्रणालीगत सुधार के उपाय

क. **प्राप्ति के साथ कोयले के प्रेषण की तुलना करने के लिए प्रणाली अध्ययन** : विद्युत संयंत्रों को कोयले का प्रेषण मुख्य रूप से सीआईएल और कैप्टिव कोयला ब्लॉकों और एससीसीएल से भी होता है। विद्युत संयंत्रों में कोयला प्रेषण और कोयले की प्राप्ति में अंतर है। उपभोक्ता कोयले की पूरी कीमत का भुगतान करते हैं जो कोयला कंपनियों से भेजा जाता है लेकिन उनके संयंत्र पर पूरी मात्रा प्राप्त न होने से उपभोक्ताओं और प्रणाली को भी नुकसान होता है। कोयला मंत्रालय ने इच्छा प्रकट की कि सीवीओ, सीआईएल, सीआईएल मार्केटिंग डिवीजन और सीईए आदि से डाटा एकत्र करके एनटीपीसी के कुछ विद्युत संयंत्रों, किसी भी राज्य जेनको के कुछ संयंत्रों और कुछ आईपीपी को कोयला प्रेषण और प्राप्ति का अध्ययन करें।

ख. **मिशन– उत्पादकता अधिकतम करना– डम्परों का कार्य**–निष्पादन विश्लेषण: आमतौर पर टीपीएमएस (ट्रक पेलोड मॉनिटरिंग सिस्टम) के रूप में उल्लिखित प्रणालियों में निहित जानकारी में डंपरों की दक्षता और उत्पादकता में प्रभावशाली तरीके से सुधार करने की क्षमता है। इस आशय का एक प्रणालीगत अध्ययन किया गया था और कार्यान्वयन के लिए सीआईएल प्रबंधन के समक्ष प्रणालीगत सुधार की सिफारिशें रखी गई थीं।

ग. **सीआईएल में कोयले की मात्रा निर्धारण**: नीति, प्रक्रिया और कठिनाई: उत्पादन रिपोर्टिंग प्रक्रिया की कमजोरियों को समझने के लिए एक प्रणाली अध्ययन आयोजित किया गया था, जो कि (क) कोयला उत्पादन टन धारिता की वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में सुधार (ख) एचईएमएम की उपयोगिता और दक्षता को अधिकतम करना जिसका एसआईएम द्वारा पालन किया गया था, पर विशेष ध्यान देने के साथ अनुमान पर आधारित था।

घ. **बड़े आकार के एचईएमएम टायरों की खरीद के संबंध में प्रणालीगत सुधार सुझाव जारी किए गए**: सीआईएल स्तर पर खरीदी गई और सहायक कंपनी/परियोजना स्तर पर खपत की गई वस्तुओं की परफोर्मेंस का पता लगाने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया को डिजाइन करने और आपूर्ति आदेशों में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। सिफारिश की गई थी कि सीआईएल के हितों की रक्षा के लिए वारंटी अवधि को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। समय से पहले खराब होने वाले टायरों को बदलने के लिए वारंटी क्लॉज में परिचालन दोष और निर्माण दोष को ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि वारंटी का दावा करने में उपयोगकर्ता को अस्पष्टता न हो और अत्यधिक विचार करने की आवश्यकता न पड़े। वारंटी दावों के लिए एक एसओपी जारी करने का सुझाव दिया गया है। एनआईटी में सहायक प्रावधान के माध्यम से सुझाव दिया कि क्रय प्राधिकरण को आदेश देने के समय या बाद में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आपूर्ति की चरणबद्धता में परिवर्तन की अनुमति दी जाए। प्रवणता के मूल्यांकन के लिए, जहाँ भी उपलब्ध हो, बोलियों को अंतिम रूप देते समय सीआईएल या सहायक कंपनियों के पिछले आदेशों हेतु खरीदी गई वस्तुओं की परफोर्मेंस पर विचार

किया जाना चाहिए।

ङ **संपत्ति विवरणी:** चल/अचल संपत्ति से संबंधित लेनदेन के लिए सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना/की पूर्व स्वीकृति के लिए ऑनलाइन एपीआर पोर्टल में संशोधन।

च. **दवा की खरीद पर एसआईएम:** सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति और दवाओं की खरीद के संबंध में एक प्रणालीगत अध्ययन किया गया था जिसके आधार पर प्रणालीगत सुझाव दिए गए थे।

एनएलसीआईएल के प्रणालीगत सुधार के उपाय

क. **परियोजना प्रभावित व्यक्ति [पीएपी डेटा प्रबंधन]** सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप पर, पिछले वर्ष पीएपी पर एक व्यापक डाटा बेस रखने की आवश्यकता पर विचार किया गया था। सतर्कता विभाग के निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, भूमि विभाग/एनएलसीआईएल द्वारा पोर्टल विकसित किया गया था। इस पोर्टल में गांवों के विवरण, प्रभावित व्यक्तियों के उनकी शिक्षा और उनके वर्तमान रोजगार के साथ विवरण, इकाई–वार, ग्राम–वार/तालुक–वार उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों के विवरण के साथ अधिग्रहित की गई कुल भूमि की जानकारी प्रदान की गयी है। पोर्टल पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पीएपी पर डाटा की तत्काल उपलब्धता को सक्षम बनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान 31.10.2022 को इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया।

ख. **तालाबीरा II और III ओसीपी में ओआईएसएफ (ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल) की तैनाती:** यद्यपि, सुरक्षा प्रदान करने की मौलिक जिम्मेदारी, एमडीओ की है, पोर्टेबल मैगज़ीन साइट पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को एनएलसीआईएल और ओआईएसएफ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से पूरा किया गया था तथा 58 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। सतर्कता विभाग ने मामले का अध्ययन करने के बाद सुझाव दिया कि सुरक्षा के संबंध में दोहरा नियंत्रण वांछनीय नहीं है। मैगजीन साइट को सुरक्षित करने के लिए सशस्त्र गार्ड के साथ सुरक्षा पर एकल नियंत्रण और उत्तरदायित्व पर निर्णय लिया गया था और यह भी जोर दिया गया था कि अतिरिक्त सुरक्षा के इस प्रावधान के कारण एमडीओ को कोई लागत लाभ नहीं मिलेगा। यह भी सुझाव दिया गया कि सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक अध्ययन किया जाए। तदनुसार, एक समिति का गठन किया गया है और इस मुद्दे पर विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है।

ग. **तालाबीरा II और II ओसीपी में कोयले के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले वे ब्रिजों 3 और 4 के संचालन के लिए इनका ऑटोमेशन:** दोषरहित और विसंगति मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित वेब्रिज हर समय उपलब्ध होने चाहिए। जब खान अपनी अधिकतम क्षमता (20 एमटीपीए) तक पहुंच जाती है, तो उत्पादन के लिए मौजूदा वेब्रिज अपर्याप्त होंगे (वर्तमान में 6 एमटीपीए पर भी) और उत्पादन के लिए नए वे–ब्रिज की शुरूआत अत्यंत आवश्यक है और शुरुआत से ही ये स्वचालित होने चाहिए। तालाबीरा II और III ओसीपी में वेब्रिज संख्या 3 और 4 स्वचालित वेब्रिज हैं जिनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। वे–ब्रिज 1, 2, 5 और 6, जो प्रेषण हेतु उपयोग किए जाते हैं, मैनुअल वे–ब्रिज हैं क्योंकि वे ७एमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सतर्कता विभाग ने सुझाव दिया कि दोनों सॉफ्टवेयरों को एकीकृत किया जाना है और वेब्रिजों के संचालन को स्वचालित बनाया जाना है। तदनुसार, उपरोक्त को लागू करने के लिए एमडीओ ने एक समर्पित टीम तैनात की थी।

घ. **दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस):** चूंकि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भारत सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए डिजिटलीकरण केंद्र के लिए आवश्यक कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद को कॉर्पोरेट कंप्यूटर सेवाओं द्वारा समेकित खरीद से अलग किया जा सकता है और छह महीने के भीतर डिजिटलीकरण कार्यों को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर अलग से कार्य किया जा सकता है। सभी इकाइयों को

'डिजिटलीकरण' पहल करने की सिफारिश की जा सकती है और चरण–II में शामिल करने के लिए सीएस/सीओ एनसीआरआरडीसी को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों से आवश्यकता को समेकित कर सकते हैं। डीएमएस के लिए ऑर्डर दिया गया और कंप्यूटरों की समेकित खरीद से अलग किए गए कंप्यूटरों की खरीद अग्रिम चरण में है। अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए सतर्कता विभाग से संबंधित लगभग 11,992 फाइलों को स्कैन किया गया और इन्हें डीएमएस सर्वर में संग्रहीत किया गया। चरण II: सतर्कता दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन: 84000 पृष्ठों को स्कैन करके सर्वर में अपलोड किया गया है और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

ड. **जीपीआरएस/जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वीटीएस):** जीपीएस उपकरण: वर्तमान में, नेवेली में खान–I, खान–Ia और खान–II के डीजल बंक के बाउजर में जीपीएस उपकरण लगाए जाते हैं। खान–I, खान–Ia और खान–II में वाहनों में एसआईएम युक्त 39 जीपीएस उपकरण लगाए गए हैं और किसी भी चूक के लिए ई–मेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ 14.07.2022 से ऑनलाइन है। एक नई पहल के रूप में, रिअल टाइम के आधार पर खानों में एम्बुलेंस और फायर टेंडर की आवाजाही की ऑनलाइन निगरानी/ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप को सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपने स्मार्ट फोन (एंड्रॉइड) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो रिअल टाइम के आधार पर वाहन की लोकेशन बताएगा। मोबाइल एपीपी की सुविधा बाउजर, स्प्रिंकलर, टी क्रेन, लॉरी जैसे उपकरणों की अन्य श्रेणियों में भी दी गई है, जो जीपीएस से लैस हैं और संबंधित प्रभारी अपने एंड्रॉइड स्मार्ट फोन में इनकी निगरानी कर सकते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान 31.10.2022 को इस प्रणाली का उद्घाटन किया गया था।

च. **बरसिंगसर लिग्नाइट खानों में वे–ब्रिज (I और II) की जांच:** वे–ब्रिजों की जांच करते समय, यह देखा गया है कि दो प्लेटफॉर्मों के बीच वजन में विसंगति थी। मैसर्स एमिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा वेब्रिज की ओईएम की बाद की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म–I की लोड सेल रीडिंग अनियमित थी और प्लेटफॉर्म–I में सभी छह लोड सेल को बदलने की सिफारिश की गई थी।

सतर्कता प्रणाली में सुधार: बरसिंगसर परियोजना के सभी वेब्रिजों के लिए जांच हेतु आईएस 1436 के अनुसार मानक वजन का उपयोग किया जाएगा। मानक वजन वाली लॉरी की खरीद तथा जांच की संभावना पर शीघ्र कार्यान्वयन हेतु विचार किया जा सकता है जैसा कि नेयवेली की इकाईयों में किया गया था। एनएलसीआईएल के इंटिग्रेडिट वेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम (आईडब्ल्यूटीएस) के साथ बरसिंगसर परियोजना के सभी वेब्रिजों को जोड़ना। चूंकि डम्पर कुल और खाली वजन माप के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से गुजर सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जांच के समय दो वेब्रिज के बीच वजन का अंतर संतोषजनक सीमा के भीतर हो। यह सुनिश्चित करने के लिए, वेब्रिजों की जांच के लिए गठित समिति को परिचालन शुरू होने से पहले पहली शिफ्ट में प्रतिदिन दोनों वेब्रिज प्लेटफार्मों में खाली डम्पर के वजन की जांच करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार के लिए कहा जा सकता है। इस परीक्षण माप को दैनिक रीडिंग से अलग (स्वचालित रूप से) करने के लिए वेब्रिज के सेवा प्रदाता के परामर्श से सॉफ्टवेयर सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।

छ. **मास फ्लो मीटर का उपयोग करते हुए हैवी फर्नेस ऑयल को निथारना:** तापीय विद्युत स्टेशनों के लिए फर्नेस ऑयल तेल कंपनियों से प्राप्त किया जाता है। मिलावटी तेल (तेल में पानी मिलाना) की प्राप्ति को रोकने के लिए निथारने से पहले तेल के नमूनों की जांच की जाती है। निथारे जा रहे तेल की पूरी मात्रा की निरंतर जांच के लिए, मास फ्लो मीटर का उपयोग करना होगा। मास फ्लो मीटर निथारे गए तेल के घनत्व की निरंतर निगरानी करेगा। यदि इसे पानी की उपस्थिति के कारण उच्च घनत्व का आभास होता है, तो एक अलार्म बज उठेगा और निथारने की प्रकिया को रोका जा सकता है और आगे की कार्रवाई की जा सकती है। सतर्कता अनुशंसा के आधार पर, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तापीय विद्युत स्टेशनों में मास फ्लो मीटर खरीदे गए और स्थापित किए गए।

प्राप्त, निपटायी गई और लंबित शिकायतों का विवरण (सामान्य/वीआईपी/पीआईडीपीआई)

स्रोत	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निस्तारण	शेष	समय–वार विलंबन (माह)			
						<1	1-3	3-6	>6
सामान्य	10	265	275	246	29	29	0	0	0
वीआईपी	0	4	4	4	0	0	0	0	0
पीआईडीपीआई	0	3	0	3	0	0	0	0	0

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण – प्रमुख

स्रोत	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान आईओ को सौंपी गई पूछताछ	कुल	आईओ से प्राप्त रिपोर्ट	आईओ के पास लंबित पूछताछ	समय–वार विलंबन (माह)			
						<6	6-12	12-18	>18
प्रमुख दंडात्मक मामले	2	3	5	1	4	1	1	1	1

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण – लघु

स्रोत	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान आईओ को सौंपी गई पूछताछ	कुल	ऐसे मामले जिनमें डीए द्वारा अंतिम आदेश जारी किए गए	शेष लंबित	समय–वार विलंबन (माह)			
						<6	6-12	12-18	>18
लघु दंडात्मक मामले	0	1	1	0	1	0	1	0	0

अभियोजन स्वीकृति

प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल	मंजूरी प्रदान की गई	मंजूरी अस्वीकृत	शेष लंबित
1	1	2	1	0	1